1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**मेधावी छात्र पुरस्कार योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	• समस्त प्रकार के देय हितलाभ दो किश्तों में दिये जाएगें। प्रथम किश्त कक्षा में प्रवेश के उपरान्त देय होगी तथा दूसरी किश्त उस कक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त दी जाएगी। • यदि छात्र/छात्रा को प्रथम किश्त भुगतान कर दिया जाता है और वह कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। • आई0टी0आई0/इन्जीनियरिंग की डिग्री के उन्हीं छात्र/छात्राओं को यह हितलाभ अनुमन्य होंगे जो उत्तर प्रदेश के शासकीय आई0टी0आई0 अथवा इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्राप्त करेंगे। प्रमाण स्वरूप प्रवेश–कार्ड तथा शुल्क की रसीद अवश्य संलग्न की जाएगी। • व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पात्रता तभी मान्य होगी जब अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लिया हो।
4	पात्रता की अर्हता–	इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप मे पंजीकृत है तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 5, 6, 7, 8, 10 एवं 12 की परीक्षा क्रमशः 55, 55, 55, 55, 50 तथा 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों (नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अंकित प्रतिशत के सापेक्ष प्रभावी ग्रेडिंग प्रणाली) के साथ उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित पुत्र या पुत्री के द्वारा आगे की शिक्षा भी जारी रखी गई हो। इस योजना के अतर्गतवह छात्र/छात्रा भी पात्र होंगे जो आई0 टी0 आई0 से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों अथवा शासकीय इन्जीनियरिंग कालेजों से इन्जीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। कक्षा 8 तक के पात्र पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार की धनराशि अनिवार्य रूप से अगली उच्च कक्षा मे शिक्षारत होने की स्थिति मे ही अनुमन्य होगी। आई0 टी0 आई0 एवं इन्जीनियरिंग के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों तथा चिकित्सा में एम0 बी0 बी0 एस0, बी0 डी0 एस0, बी0 ए0 एम0 एस0 तथा बी0 एच0 एम0 एस0 के पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे। परन्तु यदि सम्बन्धित छात्र/छात्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस उद्देश्य से चलाई गई किसी अन्य योजना में लाभ प्राप्त किया हो तो उसे यह हितलाभ देय नहीं होगा। आवेदन के समय आवेदनकर्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	उत्तीर्ण होने की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रमाण–पत्र के साथ के स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।